

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्दाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

मोहम्मद यासीन पुत्र अल्लादीन जाति तेली (चौहान) निवासी वार्ड संख्या-03, चूरु (राज.)
-वादी-

बनाम

1. मोहम्मद आमीन पुत्र फतेह मोहम्मद चौहान जाति तेली (चौहान) निवासी वार्ड संख्या-03, चूरु (राज.)
2. गुलाम हुसैन पुत्र सुलेमान जाति तेली (चौहान) निवासी वार्ड संख्या-07, चूरु (राज.)
3. बजीर पुत्र अल्लादीन जाति तेली (चौहान) निवासी वार्ड संख्या-03, चूरु (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरु (राज.)

-प्रतिवादीगण-



दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 345 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री विजयसिंह शेखावत व श्री अर्जुनसिंह राठौड़ एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब व श्री मोहम्मदइदरीश व श्री महिम्म जोशी एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 169, 175, 176 कुल तादादी 36 बीघा 18 विश्वा रोही कस्बा चूरु की भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाने का आदेश दिया जाता है:-

| क्र.सं. | नाम खातेदार मय वल्लिदयत | ख.नं. | रकबा | किस्म | लगान |
|---------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------|
| 1. | मोहम्मद यासीन, बजीर पि. अल्लादीन जाति तेली चौहान निवासी चूरु ब.हि.ब. खातेदार | 176 मी. | 12.06 बीघा | बारानी | 4.92 |
| 2. | मोहम्मदआमीन पुत्र फतेहमोहम्मद जाति तेली चौहान निवासी चूरु खातेदार | 169 176 मी. 175 मी. किता-3 | 11.01 बीघा 0.03 बीघा 1.02 बीघा 12.06 बीघा | बारानी बारानी बारानी बारानी | 4.92 |
| 3. | गुलामहुसैन पुत्र सुलेमान जाति तेली चौहान निवासी चूरु खातेदार | 175 मी. | 12.06 बीघा | बारानी | 4.92 |

तहसीलदार, चूरु उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22 माह जनवरी सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी चूरु
चूरु